दैनिक
न्याय साक्षी
अधिकार से न्याय तक

आवश्यक सूचना

आप सभी को सूचित करते हर्ष हो रहा है, कि न्यायसाक्षी अधिकार से न्याय तक का सर्वे का कार्य तेजी से चल रहा है, जल्द ही सर्वे की टीम आपके घर विजिट करेगी, कृपया अपनी प्रति सुरक्षित कराएं।

RNI NO - CHHHIN/2018/76480 || Postal Registration No-055/Raigarh DN CG || रायगढ़, शुक्रवार 02 जुलाई 2021 || पृष्ठ-4, मूल्य 3 रूपए || वर्ष-03, अंक- 272

महत्वपूर्ण एवं खास

एयर मार्शल विवेक राम चौधरी ने संभाला वायु सेना के नए उप प्रमुख का कार्यभार

नई दिल्ली (आरएनएस)। एयर मार्शल विवेक राम चौधरी ने आज भारतीय वायु सेना के नए उप प्रमुख (वाइस चीफ) का पदभार ग्रहण किया। उन्होंने एयर मार्शल हरजीत सिंह अरोड़ा की जगह ली। इससे पहले उन्हें वायु सेना के मुख्यालय पर गार्ड ऑफ ऑनर्स दिया गया था। अभी तक एयर मार्शल चौधरी वायु सेना की पश्चिमी वायु कमान (डब्ल्यूएसी) के कमांडर-इन-चीफ के रूप में कार्यरत थे। इस कमान के पास संवेदनशील लद्दाख क्षेत्र के साथ-साथ उत्तर भारत के अन्य हिस्सों में देश के वायु क्षेत्र की सुरक्षा की जिम्मेदारी है। लगभग 38 वर्षों के करियर में, उन्होंने वायु सेना के विभिन्न लड़ाकू व प्रशिक्षक विमान उड़ाए हैं। उन्हें मिग-21, मिग-23 एमएफ, मिग-29 और सुखोई-30 एमकेआई लड़ाकू विमानों के परिचालन उड़ान समेत 3800 घंटे से अधिक के उड़ान का अनुभव है।

दिल्ली में कोरोना ने 67 मासूमों को किया अनाथ

नई दिल्ली (आरएनएस)। कोरोना काल हम सभी के लिए बेहद मुश्किल भरा साबित हुआ है। लेकिन उन बच्चों की तो पूरी दुनिया ही उजड़ गई है, जिन्होंने इस बुरे वक्त में अपने माता-पिता दोनों को खो दिया है। दिल्ली में अब तक 67 ऐसे बच्चे सामने आ चुके हैं, जिन्होंने कोरोना संकट में अपने सिर से पिता साया और मां का आंचल दोनों ही छिन गए। वहीं 651 बच्चों की मां हमेशा के लिए उनसे छीन लीं गई, जबकि 1311 बच्चे ऐसे हैं, जिनके पिता को कोरोना संक्रमण निगल गया। दिल्ली कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स (डीसीपीसीआर) ने कहा है कि वह इन सभी बच्चों तक पहुंच कर उनको हर संभव मदद उपलब्ध कराने की कोशिश कर रहा है। ऐसे सभी बच्चों के स्वास्थ्य-शिक्षा की जिम्मेदारी सरकार उठाएगी। ऐसे सभी बच्चों को दिल्ली सरकार की तरफ से 2500 रुपये की पेंशन तब तक मिलेगी, जब तक कि वे 25 वर्ष की आयु के नहीं हो जाते।

रक्षा उत्पादन से जुड़े कर्मी अब नहीं कर सकेंगे हड़ताल

नई दिल्ली (आरएनएस)। रक्षा संबंधी आवश्यक सेवाओं में शामिल कर्मियों के हड़ताल के खिलाफ सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने हड़ताली कर्मचारियों के विरुद्ध अध्यादेश जारी किया है। इसके तहत कर्मचारियों को अचानक से काम बंद करना महंगा पड़ेगा। यहां तक कि उन्हें जेल भी जाना पड़ेगा। यह अध्यादेश रक्षा संबंधी आवश्यक सेवाओं में शामिल कर्मियों के हड़ताल एवं किसी भी तरह के विरोध-प्रदर्शन करने पर रोक लगाता है। आयुध निर्माणी बोर्ड (ओएफबी) से जुड़े कई बड़े संघों ने हाल ही में सरकार के ओएफबी को निगम बनाने के फैसले के खिलाफ अगले महीने से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की घोषणा की थी, जिसको देखते हुए आवश्यक रक्षा सेवा अध्यादेश, 2021 लाया गया है।

कृषि कानूनों को खारिज करने के बजाए विवादास्पद भाग में हो संशोधन : पवार

नई दिल्ली (आरएनएस)। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार ने विवादास्पद कृषि कानूनों पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कृषि कानूनों को पूरी तरह खारिज करने के बजाए इसके उस हिस्सों में संशोधन किया जाना चाहिए जिससे किसानों को इससे दिक्कत है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र सरकार के मंत्रियों का एक समूह केंद्र से पारित कृषि कानून के अलग-अलग पहलुओं का अध्ययन कर रहा है। शरद पवार से जब पूछा गया कि क्या कृषि कानून के खिलाफ महाराष्ट्र सरकार प्रस्ताव लाएगी। इस पर उन्होंने कहा, पूरे बिल को खारिज कर देने के बजाए हम उस हिस्से में संशोधन कर सकते हैं जिसे लेकर किसानों को आपत्ति है, उन्होंने कहा कि इस बिल से संबंधित सभी पक्षों से विचार करने के बाद ही इसे विधानसभा में लाया जाएगा। शरद पवार ने कहा कि मंत्रियों का एक समूह इस कानून पर विचार कर रहा है। अगर ये समूह किसानों के हक में जरूरी बदलाव लेकर आता है तो इन कृषि कानूनों के खिलाफ प्रस्ताव लाने की जरूरत नहीं है। शरद पवार ने कहा कि राज्यों को अपने यहां इस कानून को पास करने से पहले इसके विवादित पहलुओं पर विचार करना चाहिए तभी इस पर फैसला लिया जाना चाहिए।

एक माह में डेढ़ लाख कम हुए कोरोना के दैनिक मामले, 24 घंटे में 46,148 नए मामले, 979 की मौत

नई दिल्ली (आरएनएस)। देश में कोरोना संक्रमण की दर कम होती जा रही है, लेकिन अभी भी ग्रामीण इलाकों में संक्रमण के केस आते नजर आ रहे है। कोरोना वायरस की दूसरी लहर की रफ्तार हालांकि लगातार ढ़लान पर है। पिछले 24 घंटे में संक्रमण के 46,148 नए मामले सामने आए, जबकि 979 लोगों की संक्रमण से मौत हुई है।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के गुरुवार को जारी आंकड़ो के अनुसार 30 दिन में ही नए मामलों में जहां 1.40 लाख की कमी आई है। वहीं 12 अप्रैल के बाद देश में एक हजार से कम मौत भी दर्ज की गई हैं। 26 मई तक देश में हर दिन 1.80 लाख से अधिक केस सामने आ रहे थे, लेकिन बीते रविवार को देश में 46,148 नए मामले मिले हैं। 21 दिन से देश में दैनिक मरीजों की संख्या एक लाख से कम है। इसके अलावा पिछले एक दिन में 979 लोगों की संक्रमण के चलते मौत हुई है। जबकि 58,578 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं। इसी के साथ देश में सक्रिय केस की संख्या घटकर 5,72,994 पर आ चुकी है। अब तक 3,96,730 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। देश में कोरोना से ठीक होने वालों की दर बढ़कर 96.80 फीसदी तक पहुंच गई है। इससे एक दिन पहले देश में 50,040 नए कोरोना केस और 1258 मौतें दर्ज की गई थीं।

❐ **तीन करोड़ से ज्यादा हुए संक्रमित-** देश में कोरोना के कुल मामलों की संख्या बढ़कर तीन करोड़ 2 लाख 79 हजार 331 हो चुकी है जिनमें से दो करोड़ 93 लाख 09 हजार 607 मरीज स्वस्थ हुए हैं। वहीं 5 लाख 72 हजार 994 मरीजों का अभी उपचार चल रहा है। महाराष्ट्र में अभी भी कोरोना के अधिक मामले मिल रहे हैं। यहां पिछले एक दिन में 9,974 नए मामले और 143 लोगों की मौत हुई है। वहीं मध्यप्रदेश में 39 नए मामले और 21 मौत दर्ज की गई हैं। यहां मृत्यु दर पूरे देश में सबसे ज्यादा देखने को मिली है। राजस्थान में 162 मामले और चार लोगों की मौत हुई। वहीं उत्तराखंड में 82 नए मामले और दो लोगों की मौत हुई। उत्तर प्रदेश में 75 लोगों की एक दिन में मौत हुई है। पंजाब और पश्चिम बंगाल में क्त्रस्मशः 298 और 1836 नए मामले मिले हैं।

❐ **देश में 40.63 करोड़ से ज्यादा हुई कोरोना जांच-** मंत्रालय के अनुसार पिछले एक दिन में 13409 सक्रिय मामलों में कमी आई है। अभी देश में कुल मामलों की तुलना में सक्रिय दर 1.89 फीसदी है। लगातार 46 दिन से देश में नए मरीजों से ज्यादा स्वस्थ्य होने वालों की संख्या दर्ज की जा रही है। बीते रविवार को एक दिन में 15.70 लाख सैंपल की जांच की गई थी। अब तक जांच का आंकड़ा 40.63 करोड़ पार हो चुका है। पिछले एक दिन में 2.94 फीसदी सैंपल कोरोना संक्त्रस्मित मिले हैं। जबकि पिछले एक सप्ताह के दौरान साप्ताहिक संक्रमण दर 2.81 फीसदी दर्ज की गई।

❐ **ज्यादातर जिलों में हालात नियंत्रण में-** स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि पिछले 49 दिन से संक्रमण दर में गिरावट देखने को मिल रही है। यह क्रम अभी भी चल रहा है और इसी का परिणाम है कि देश के 550 से अधिक जिलों में हालात काबू में है। यहां संक्रमण दर पांच फीसदी से काफी नीचे है। हालांकि महाराष्ट्र सहित कुछ राज्यों में अभी संक्रमण दर इससे कहीं अधिक है जहां लगातार निगरानी की जा रही है।

❐ **वैक्सीनेशन में अमेरिका को पछाड़ा-** स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक, देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस की 17,21,268 वैक्सीन लगाई गई, जिसके बाद कुल वैक्सीनेशन का आंकड़ा 32,36,63,297 हुआ। बता दें कि वैक्सीनेशन के मामले में भारत ने अमेरिका को भी पछाड़ दिया है, क्योंकि अमेरिका में अबतक 32,33,27,328 लोगों को ही वैक्सीन लगी है, जबकि भारत में 32,36,63,297 को कोरोना का टीका लग गया है।

सुप्रीम कोर्ट के जज अशोक भूषण हुए रिटायर

नई दिल्ली (आरएनएस)। सुप्रीम कोर्ट में चार साल तक सेवाएं देने के बाद सबसे विनम्र और मानवीय जज माने जाने वाले न्यायमूर्ति अशोक भूषण 04 जुलाई को सेवानिवृत्त हो जाएंगे। शीर्ष अदालत में कई ऐतिहासिक फैसलों में शामिल रहे न्यायमूर्ति भूषण जाते-जाते एक और ऐतिहासिक फैसला दे गए। उन्होंने कोविड- 19 के कारण मारे गए लोगों के परिजनों को मुआवजा देने का आदेश दिया और सरकार का यह आग्रह खारिज कर दिया कि आर्थिक तंगी के कारण मुआवजा दिया जाना संभव नहीं है। यूपी के जौनपुर निवासी न्यायमूर्ति भूषण ने सदी के सबसे जटिल अयोध्या भूमि विवाद में सक्रिय भूमिका निभाई और वकीलों से तीखे सवाल पूछे। इस दौरान उनके साथ कुछ वकीलों ने कटाक्ष के साथ व्यवहार किया लेकिन उन्होंने संयम से मुस्कुरा कर उनकी दलीलें सुनीं। अयोध्या फैसले के आखिर में एक एजेंडा (पूरक फैसला) आया था, इस पर किसी जज का नाम नहीं था, लेकिन जो सवाल न्यायमूर्ति भूषण सुनवाई दौरान पूछते थे, लगभग उन्हीं सवालों का जवाब उस एजेंडे में था, जिससे माना जाता कि यह न्यायमूर्ति भूषण ने ही लिखा था। बुधवार को उन्हें न्यायाधीशों और कर्मचारियों ने विदाई दी। इस दौरान वह भावुक हो गए। कर्मचारी के लोगों से विदा लेते समय वह भावुक हो गए और उन्हें गले लगा लिया। एक न्यायाधीश द्वारा यह किया जाना बहुत आश्चर्च की बात है क्योंकि उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों के सामने बिना कार्य के कर्मचारी खड़ा भी नहीं हो सकता।

नीरव मोदी की बहन ने ईडी को ट्रांसफर किए 17.25 करोड़

नई दिल्ली (आरएनएस)। ईडी ने कहा कि 13,500 करोड़ रुपये के पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) धोखाधड़ी मामले में वांछित भगोड़े कारोबारी नीरव मोदी की बहन पूर्वी मोदी के सरकारी गवाह बनने के महीनों बाद, सरकारी बैंक खाते में 17.25 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए हैं। ईडी के एक अधिकारी ने कहा कि बेल्जियम की नागरिक पूर्वी मोदी और उनके पति मेनक मेहता को ईडी की चार्जशीट में आरोपी के रूप में नामित किया गया था।

हालांकि, इस साल 4 जनवरी को अदालत ने पूर्ण और सही

खुलासा करने की शर्त पर उसे सीआरपीसी की धारा 306 और 307 के तहत क्षमादान देने की अनुमति दी और आगे अनुमति दी कि आरोपी को इसमें एक सरकारी गवाह के रूप में चिह्नित किया जाए। अधिकारी ने कहा कि 24 जून को पूर्वी मोदी ने ईडी को सूचित किया कि उसे लंदन में उसके नाम से एक बैंक खाते की जानकारी मिली है, जो उनके भाई नीरव मोदी के कहने पर खोला गया था।

प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारी ने बताया कि ब्रिटेन के एक खाते से करीब 17.25 करोड़ रुपए प्राप्त हुए हैं। यह खाता नीरव मोदी की बहन पूर्वी मोदी के नाम से था। इसे भगोड़े कारोबारी नीरव मोदी ने ही खोला था और इसे संचालित भी करता था। अधिकारी ने कहा, चूंकि पूर्वी मोदी को पूरा और सही खुलासा करने की शर्तो पर माफी की अनुमति दी गई थी, इसलिए उन्होंने ब्रिटेन के बैंक खाते से 23,16,889.03 अमेरिकी डॉलर की राशि भारत सरकार, प्रवर्तन निदेशालय के बैंक खाते में भेज दी है। उन्होंने कहा, पूर्वी मोदी के सहयोग से, ईडी अपराध की आय से लगभग 17.25 करोड़ रुपये की वसूली करने में सक्षम हुई है।

मार्च 2019 में गिरफ्तारी के बाद से नीरव मोदी फिलहाल लंदन की एक जेल में बंद है। भारत में उसके प्रत्यर्पण का आदेश इस साल 16 अप्रैल को ब्रिटेन की गृह सचिव प्रीति पटेल ने दिया था। वह 23 जून को यूके उच्च न्यायालय में अपनी प्रत्यर्पण अपील का पहला चरण हार गया था।

किडनैप हुए शख्स से अच्छा बर्ताव करने वाले आरोपी को उम्र कैद नहीं दे सकते : सुको

नई दिल्ली (आरएनएस)। सुप्रीम कोर्ट ने अपहरण के मामले को लेकर एक बेहद अहम फैसला सुनाया है। उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि यदि अपहृत व्यक्ति के साथ अपहरणकर्ता ने मारपीट नहीं की, उसे जान से मारने की धमकी नहीं दी और उसके साथ अच्छा बर्ताव किया तो अपहरण करने वाले व्यक्ति को भारतीय दंड संहिता की धारा 364ए के तहत आजीवन कारावास की सजा नहीं दी जा सकती है।

न्यायमूर्ति अशोक भूषण और न्यायमूर्ति आर सुभाष रेड्डी की पीठ ने तेलंगाना उच्च न्यायालय द्वारा अपहरण के एक मामले में आरोपी एक ऑटो चालक को दोषी ठहराने का फैसला रद्द करते हुए यह टिप्पणी की। ऑटो चालक ने एक नाबालिग का अपहरण किया था और उसके पिता से दो लाख रुपये की

फिरौती मांगी थी।

❐ **दोषी ठहराने के लिए तीन बातें साबित करनी होंगी-** न्यायालय ने कहा कि धारा 364ए (अपहरण एवं फिरौती) के तहत आरोपी को दोषी ठहराने के लिए अभियोजन पक्ष द्वारा तीन बातों को साबित करना आवश्यक है। उसने कहा कि ये तीन बातें हैं- किसी व्यक्ति का अपहरण करना या उसे बंधक बनाकर रखना, अपहृत को जान से मारने की धमकी देना या मारपीट करना, अपहरणकर्ता द्वारा ऐसा कुछ करना जिससे ये आशंका बलवती होती हो कि सरकार, किसी अन्य देश, किसी सरकारी संगठन पर दबाव बनाने या किसी अन्य व्यक्ति पर फिरौती के लिए दबाव डालने के लिए पीड़ित को नुकसान पहुंचाया जा सकता है या मारा जा सकता है। धारा 364ए के तहत आजीवन कारावास या मृत्युदंड की सजा का जिक्र करते हुए न्यायालय ने कहा कि पहली स्थिति के अलावा दूसरी या तीसरी स्थिति भी साबित करनी होगी अन्यथा इस धारा के तहत दोषी नहीं ठहराया जा सकता।

❐ **हाईकोर्ट ने खारिज कर दी थी याचिका-** शीर्ष अदालत तेलंगाना निवासी शेख अहमद की अपील पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी गई है। उच्च न्यायालय ने दोषी ठहराए जाने के खिलाफ अहमद की याचिका खारिज कर दी थी और उसे भादंसं की धारा 364ए के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।

❐ **ऑटो चालक ने घर छोड़ने के बहाने किया था किडनैप-** ऑटो चालक अहमद ने सेंट मैरी हाईस्कूल के छठी कक्षा के छात्र को उसके घर छोड़ने के बहाने अगवा कर लिया था। जब बच्चे का पिता फिरौती देने गया था उसी समय पुलिस ने बच्चे को छुड़ा लिया था। यह घटना 2011 की है और तब पीड़ित की उम्र 13 वर्ष थी। पीड़ित के पिता ने निचली अदालत को बताया था कि अपहरणकर्ता ने लड़के को कभी भी नुकसान पहुंचाने या जान से मारने की धमकी नहीं दी थी।

आगरा सेंट्रल जेल में बंद 13 नाबालिग दोषियों की रिहाई की मांग

नई दिल्ली (आरएनएस)। सुप्रीम कोर्ट में उस याचिका पर उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है, जिसमें 13 नाबालिग दोषियों को तत्काल जेल से रिहा करने की मांग की गई है, जिन्हें अपराध के वक्त नाबालिग घोषित किया जा चुका है। ये सभी फिलहाल आगरा सेंट्रल जेल में बंद हैं। इन दोषियों को खूंखार अपराधियों के साथ जेलों में रखा गया है। वकील ऋषि मल्होत्रा के माध्यम से दायर इस याचिका में कहा गया कि वर्ष 2012 में इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर किए जाने के बाद किशोर न्याय बोर्ड को कैदियों की किशोरावस्था से संबंधित आवेदनों का निपटारा करने के निर्देश दिए गए थे। इसके बाद सभी 13 याचिकाकर्ताओं को अपराध किए जाने के समय नाबालिग घोषित किया गया था। यानी बोर्ड ने पाया कि अपराध के समय इन सभी की आयु 18 वर्ष से कम थी। जस्टिस इंदिरा बनर्जी की अध्यक्षता वाली पीठ ने इस मामले में यूपी सरकार को नोटिस जारी कर एक हफ्ते में जवाब दाखिल करने के लिए कहा है।

याचिका में कहा गया कि किशोर न्याय बोर्ड द्वारा फरवरी, 2017 से मार्च, 2021 के बीच याचिकाकर्ताओं को किशोर घोषित करने के स्पष्ट आदेश के बावजूद इन सभी को रिहा करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया है।

डॉक्टर्स डे पर बोले पीएम मोदी, कहा कोरोना काल में लाखों डाक्टर बने भगवान

» देश में बढ़ाई जा रही एम्स की संख्या, स्वास्थ्य बजट को इस साल किया दोगुना

नई दिल्ली (आरएनएस)। पीएम नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर्स डे के मौके पर देश के चिकित्सकों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में देश के डॉक्टरों ने लाखों लोगों की जान बचाई। कई डॉक्टरों ने इलाज के दौरान अपने जीवन की आहुति दे दी। कोरोना के दौरान हमारे डॉक्टरों ने जिस तरह से देश की सेवा की है, वह अपने आप में एक प्रेरणा है, डॉक्टरों को ईश्वर का दूसरा रूप कहा जाता है।

पीएम मोदी ने कहा कि हमारी सरकार ने स्वास्थ्य सेवा को सर्वोच्च

प्राथमिकता दी है। जब देश कोविड के खिलाफ एक बड़ी लड़ाई लड़ रहा है, डॉक्टरों ने लाखों लोगों की जान बचाई है, कई डॉक्टरों ने अपने अथक प्रयासों में अपना बलिदान भी दिया है, मैं उन सभी आत्माओं को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।

अपनी सरकार की ओर से किए जा रहे प्रयासों के बारे में बताते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि पिछले साल कोरोना की पहली लहर के दौरान हमने अपने स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए 15,000 करोड़ रुपये आवंटित किए थे, इस साल स्वास्थ्य सेवा के लिए दो लाख करोड़ रुपये से अधिक का बजट आवंटन है। देश में एम्स की संख्या बढ़ाई जा रही है। स्वास्थ्य बजट इस साल दोगुना किया गया है।

❐ **पिछली सरकारों पर साधा निशाना-** पिछली सरकारों पर निशाना साधते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इतने दशकों में जिस तरह का मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर देश में तैयार हुआ था, उसकी सीमाएं आप भलीभांति जानते हैं, पहले के समय में मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को किस तरह नजरअंदाज किया गया था, उससे भी आप परिचित हैं, हमारी सरकार का फोकस मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर है। हम डॉक्टरों की सेवा के दम पर सर्वे भवंतु सुखिनः के हमारे संकल्प को अवश्य पूरा करेंगे।

❐ **डॉक्टरों के खिलाफ हिंसा रोकने के कड़े कानून बनाए-** पीएम ने कहा कि हमारी सरकार ने डॉक्टर्स के खिलाफ हिंसा को रोकने के लिए पिछले वर्ष ही कानून में कई कड़े प्रावधान किए। इसके साथ ही हम अपने कोविड वारियर्स के लिए फ्री इंश्योरेंस कवर स्कीम भी लेकर आए हैं।

❐ **डाक्टरों की वजह से भारत में संभली स्थिति-** कोरोना के दौरान हम प्रति लाख जनसंख्या में संक्रमण, मृत्यु दर देखें तो भारत की स्थिति बड़े बड़े विकसित और समृद्ध देशों की तुलना में कहीं संभली हुई रही है। किसी एक जीवन का असमय समाप्त होना उतना ही दुखद है, लेकिन भारत ने कोरोना से लाखों का जीवन बचाया भी है। मैं 130 करोड़ देशवासियों की तरफ से सभी डॉक्टर्स को धन्यवाद देता हूं, आभार प्रकट करता हूं। डॉक्टर्स को ईश्वर का दूसरा रूप कहा जाता है। कई बार ऐसा लगने लगता है कि क्या हम किसी हमारे अपने को खो देंगे, लेकिन डॉक्टर्स ऐसे मौकों पर किसी देवदूत की तरह जीवन की दिशा बदल देते हैं।

पीएम मोदी ने कहा कि डॉ. बी. सी. रॉय की स्मृति में मनाया जाने वाला ये दिन हमारे डॉक्टर्स के, हमारी मेडिकल फेटर्निटी के उच्चतम आदर्शों का प्रतीक है। खासतौर पर पिछले 1.5 साल में हमारे डॉक्टर्स ने जिस तरह देशवासियों की सेवा की है वह एक मिसाल है। इसका डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए। डॉक्टरों ने जिस तरह से इलाज किया उसका भी दस्तावेजीकरण कर पूरी दुनिया के सामने पेश किया जाना चाहिए।